भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 150

उत्तर देने की तारीख-31/07/2023

विद्यालयी शिक्षकों हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम

†*150. **डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः**

श्री कृष्णपालसिंह यादवः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2014 से विद्यालयी शिक्षकों के क्षमता निर्माण के लिए कोई पहल की है/कोई योजनाएं/मिशन शुरू किए हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अब तक कितने शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है और इस पर कुल कितना व्यय हुआ है;

(ग) क्या सरकार बच्चों को बुनियादी साक्षरता और गणना की शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों के क्षमता निर्माण हेतु विशेष रूप से लक्षित पहलों को स्पष्ट कर सकती है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि देश में शिक्षकों का हर साल 40-50 घंटे का निरंतर पेशेवर विकास हो, जैसा कि एनईपी 2020 में परिकल्पना की गई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"विद्यालयी शिक्षकों हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम" के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. हिना विजयकुमार गावीत और श्री कृष्णपालसिंह यादव द्वारा दिनांक 31.07.2023 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 150 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) सेवाकालीन शिक्षक और शिक्षक प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) की पूर्ववर्ती योजनाओं का एक अभिन्न अंग रहा है। ये प्रशिक्षण संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी) और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से आयोजित किए गए थे। इन योजनाओं के तहत परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठकों में मास्टर प्रशिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण सहित सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण के लिए राज्य विशिष्ट प्रस्तावों के अनुसार वित्तीय प्रावधान किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) की पूर्ववर्ती योजनाओं को 2018-19 से प्रभावी एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना, अर्थात् समग्र शिक्षा में मिला दिया गया है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना 2019-20 के तहत स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल - एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम- निष्ठा द्वारा प्राथमिक स्तर पर अधिगम के परिणामों में सुधार लाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है। निष्ठा "एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार" के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। कोविड महामारी को देखते हुए और शिक्षकों को निरंतर अधिगम के अवसर प्रदान करने के लिए, अक्टूबर 2020 में दीक्षा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके निष्ठा ऑनलाइन लॉन्च किया गया था। निष्ठा प्रशिक्षण को 2021-22 में माध्यमिक स्तर के शिक्षकों तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए निष्ठा को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता और प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) तक विस्तारित किया गया है।

एससीईआरटी और डीआईईटी को मजबूत करने और प्रशिक्षण संरचनाओं के एकीकरण पर जोर देने के लिए समग्र शिक्षा के तहत धन राशि भी प्रदान की जाती है, एससीईआरटी को शिक्षक प्रशिक्षण के संचालन और ईसीसीई से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक के सभी शिक्षकों के लिए संयुक्त वार्षिक शिक्षक प्रशिक्षण कैलेंडर की तैयारी/संचालन के लिए राज्य में नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

(ख) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रशिक्षित शिक्षकों का विवरण इस प्रकार है:

राज्य	निष्ठा प्रारंभिक	निष्ठा	निष्ठा	निष्ठा	मास्टर

	(आमने सामने)	प्राथमिक (ऑनलाइन)	माध्यमिक	एफ़एलएन	प्रशिक्षकों के लिए निष्ठा ईसीसीई
मध्य प्रदेश	498	261997	45541	120074	443
महाराष्ट्र	247754	23857	109583	64438	948
उत्तर प्रदेश	383119	525928	47756	179557	6413

समग्र शिक्षा के तहत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए पिछले दो वर्षों में डीआईईटी और एससीईआरटी सहित शिक्षक प्रशिक्षण के लिए आवंटित धनराशि और व्यय का विवरण इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

राज्य	2021-22		2022-23	
	अनुमोदन	व्यय	अनुमोदन	व्यय
महाराष्ट्र	4824.57	1379.05	4775.87	3245.40
मध्य प्रदेश	4421.68	2451.51	4764.00	3278.56
उत्तर प्रदेश	10625.73	7145.22	11120.55	8613.60

स्रोत: प्रबंध

(ग) निष्ठा - प्री-प्राइमरी से कक्षा V तक के शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन मोड में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (एफ़एलएन) 7 सितंबर, 2021 को लॉन्च किया गया था। निष्ठा – एफ़एलएन का लक्ष्य सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्री-प्राइमरी और प्राइमरी स्तर पर लगभग 25 लाख शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को कवर करना है। निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों के अनुसार, इस उद्देश्य के लिए एनसीईआरटी द्वारा 12 ऑनलाइन मॉड्यूल से युक्त एक विशेष पैकेज तैयार किया गया है। निष्ठा- एफएलएन 11 भाषाओं (हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कनाड़ा, उड़िया, बंगाली, मराठी और मिज़ो) में आयोजित किया गया है और केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को छोड़कर 33 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 12.97 लाख शिक्षकों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

(घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में लागू किया जा रहा है और सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपनी वरीयताओं, जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार अपनी वार्षिक योजनाएँ तैयार करते हैं। एनईपी 2020 में सिफारिश की गई है कि प्रत्येक शिक्षक और प्रमुख शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए, अपने स्वयं के हितों से प्रेरित होकर, हर साल कम से कम 50 घंटे के सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) अवसरों में भाग लें। सीपीडी अवसर व्यवस्थित रूप से

मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, अधिगम परिणामों के रचनात्मक और अनुकूली मूल्यांकन, योग्यता-आधारित शिक्षा और संबंधित शिक्षाशास्त्र, जैसे अनुभवात्मक शिक्षा, कला-एकीकृत, खेल-एकीकृत, और कहानी-आधारित दृष्टिकोण आदि के बारे में नवीनतम शिक्षाशास्त्र को कवर करते हैं।

समग्र शिक्षा के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शिक्षकों, स्कूल प्रमुखों, विषय शिक्षकों, संसाधन व्यक्तियों, मास्टर प्रशिक्षकों, शिक्षा प्रशासकों, शिक्षक प्रशिक्षकों, प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर नए नियुक्त शिक्षकों के प्रेरण प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। स्वयं एवं दीक्षा प्लेटफार्म पर डिजिटल माध्यम से भी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

इसके अलावा, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी होने के नाते राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी)/राज्य शिक्षा संस्थानों और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के लिए भी सहयोग किया जाता है।

*****